न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लोहावट,फलोदी

पीठासीन अधिकारी- मांगीलाल, आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना-पत्र- अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
प्रकरण संख्याः- 112/2021

1. मालाराम पुत्र भीखाराम जाति जाट निवासी रूपाणा-जैताणा तहसील लोहावट

प्रार्थी.........

बनाम

1. कैलाश पुत्र बाबुराम जाति जाट निवासी रूपाणा जैताणा तहसील लोहावट
2. गिरधारीराम पुत्र भीखाराम जाति जाट निवासी रूपाणा जैताणा तहसील लोहावट
3. जुगताराम पुत्र मूलाराम जाति जाट निवासी रूपाणा जैताणा तहसील लोहावट
4. जगदीशराम पुत्र भीखाराम जाति जाट निवासी रूपाणा जैताणा तहसील लोहावट
5. देदाराम पुत्र मुलाराम जाति जाट निवासी रूपाणा जैताणा तहसील लोहावट
6. पुरखाराम पुत्र बाबुराम जाति जाट निवासी रूपाणा जैताणा तहसील लोहावट
7. पोकरराम पुत्र मुलाराम जाति जाट निवासी रूपाणा जैताणा तहसील लोहावट
8. भंवरलाल पुत्र बाबुराम जाति जाट निवासी रूपाणा जैताणा तहसील लोहावट
9. मालाराम पुत्र किस्तुरराम जाति जाट निवासी रूपाणा जैताणा तहसील लोहावट
10. मोहनराम पुत्र बाबुराम जाति जाट निवासी रूपाणा जैताणा तहसील लोहावट
11. रामुराम पुत्र जेवराम जाति जाट निवासी रूपाणा जैताणा तहसील लोहावट
12. सुगनाराम पुत्र मुलाराम जाति जाट निवासी रूपाणा जैताणा तहसील लोहावट
13. सुरताराम पुत्र किस्तुरराम जाति जाट निवासी रूपाणा जैताणा तहसील लोहावट
14. प्रबंधक,युको बैंक शाखा लोहावट
15. श्रीमान तहसीलदार लोहावट

अप्रार्थीगण......

उपस्थित :-

1. श्री अशोक कड़वासरा अधिवक्ता प्रार्थी
2. अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 14 अनुपस्थित।
3. अप्रार्थी संख्या 15 की ओर से श्री राजपैरोकार तहसीलदार लोहावट

निर्णय

दिनांक :- 28.06.2024

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थपा पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इस आशय से पेश किया है कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 1 से 13 की सामलाती खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 202 रकबा 0.0405 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 203 रकबा 1.2707 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 208 रकबा 2.9947 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 213 रकबा 2.0072 कुल रकबा 6.3131 हैक्टेयर सरहद मौजा रूपाणा-जैताणा पटवार सर्किल लोहावट जाटावास तहसील लोहावट में स्थित है। उक्त भूमि सामलाती खातेदारी की भूमि प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 1 से 13 की है जिसका प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य विधिवत बंटवाड़ा नहीं हुवा है न ही मौके पर ही बंटवाड़ा हुआ है सभी हिस्सेदारान अपनी मनमर्जी अनुसार ही काश्त करते आ रहे है कभी सामलाती काश्त करते कभी अलग-अलग इस प्रकार उक्त भूमि का बंटवाड़ा नहीं हुआ है रेकर्ड में भी उक्त भूमि सामलाती ही दर्ज है रेकर्ड अनुसार किसी भी हिस्सेदार के हिस्से की भूमि निश्चित स्थान पर तय नहीं है एवं राजस्व नक्शा में भी सामलाती ही है। इसलिए जब तक विधि अनुसार बंटवाड़ा नहीं हो जाता तब तक किसी भी हिस्सेदार को उक्त भूमि या उसके किसी भी हिस्से पर मौके पर स्थाई व

Scanned with CamScanner

पक्का निर्माण कार्य करवाने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है व न ही बेचान अथवा अन्य किसी प्रकार से हस्तांतरण करने का ही कोई अधिकार प्राप्त है एवं न ही मौके पर ढाणी, टका, ट्युबवैल, तारबन्दी, जाली या अन्य किसी प्रकार का कच्चा पक्का व स्थाई निर्माण करने का ही कोई अधिकार प्राप्त है। अप्रार्थीगण संख्या 1 से 13 अपने हिस्से की उक्त भूमि बिना विधिवत बंटवाड़े के मौके पर प्रार्थी के कब्जे की भूमि में मौके पर खुटे रोपकर तारबंदी करने एवं मौके पर पक्का मकान, ट्युबवैल व बिना विधिवत बंटवाड़े मौके पर स्थाई कब्जा करने एवं उक्त भूमि बेचान व हस्तातरण करने पर उतारु है अपने इसी नापाक इरादे से अभी दिनांक 18.10.2021 को अप्रार्थीगण अपने साथ टेक्टरो में खण्डे पत्थर लेकर आये एवं प्रार्थी को धमकी दी कि इस जमीन का कब्जा छोड़ दो हम वादग्रस्त भूमि पर पक्का निर्माण करके, ट्युबवैल करवाकर स्थाई कब्जा करेंगे। आपको जोर जबरदस्ती बेदखल करके रहेगे अगर अप्रार्थीगण बिना विधिवत बंटवाड़े अपने उक्त नापाक इरादों में सफल हो जाते है व बिना बंटवाड़े उक्त भूमि पर पक्का निर्माण करके, ट्युबवैल करवाकर स्थाई कब्जा कर लेते है तो प्रार्थी के खातेदारी अधिकारो पर कुठरा घात होगा प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी जिसका मुल्याकंन रुपयो में नहीं किया जा सकेगा और क्षतिपुर्ति संभव नहीं होगी अप्रार्थीगण साधन सम्पन्न व प्रभावशाली व्यक्ति है वह अपने उक्त नापाक इरादो में सफल होने हेतु लगातार प्रयत्नशील है इस वजह से प्रार्थी उसका मुकाबला करने में असमर्थ है अप्रार्थीगण को जरिये कानुन अतिशीघ्र रोका जाना अति आवश्यक है। प्रार्थी अप्रार्थीगण के विरुद्ध घोषणा बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु दावा न्यायालय में पेश कर दिया है जो दावा प्रस्तुत दस्तावेजात व वर्णित ग्राउण्ड के आधार पर पुर्णतया साबित है और दावे में सफलता मिलने की प्रार्थी को पुरी पुरी उम्मीद है। अंत में प्रार्थी ने अनुतोष चाहा कि प्रार्थी के पक्ष में व अप्रार्थीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला दावा इस अमर की जारी फरमाई जावे कि अप्रार्थीगण स्वयं अथवा अन्य किसी के जरिये उक्त भूमि ग्राम रुपाणा-जैताणा पटवार सर्किल लोहावट जाटवास के खेत खसरा नम्बर 202 रकबा 0.0405 हैक्टेयर खसरा नम्बर 203 रकबा 1.2707 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 208 रकचा 2.9947 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 213 रकबा 2.0072 कुल रकबा 6.3131 हैक्टेयर में प्रार्थी के हिस्से अनुसार चले आ रहे प्रार्थी के शांतिपुर्वक कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलअंदाजी न स्वयं करे, न किसी अन्य से करावे और बिना विधिवत बंटवाडे के उक्त भूमि या इसके किसी भी हिस्से पर मौके पर ढाणी, टांका, ट्युबवैल, तारबन्दी, जाली या अन्य किसी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण कार्य नहीं करने तथा मौका व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने की प्रार्थना की।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस की गई। अप्रार्थी संख्या 15 की ओर से श्री राजपैरोकार तहसीलदार लोहावट उपस्थित, अप्रार्थी संख्या 1 से 14 बाद तामिल न्यायालय में अनुपस्थित होने से उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

पत्रावली बहस में रखी गई। बहस में अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि मूल वाद के निस्तारण तक वादग्रस्त भूमि में चले आ रहे प्रार्थी के शांतिपूर्वक कब्जा काश्त में अप्रार्थीगण किसी प्रकार की दखलन्दाजी नही करे तथा वादग्रस्त भूमि के मौका व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने की अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश जारी करने का निवेदन किया।

श्री राजपैरोकार तहसीलदार लोहावट ने राजहित को सुरक्षित रखते हुए विधि अनुसार गुणावगुण पर निर्णय करने का निवेदन किया।

Scanned with CamScanner

बहस सुनी गई, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पत्रावली व मनन बहस पाया गया कि वादग्रस्त भूमि ग्राम रुपाणा-जैताणा पटवार सर्किल लोहावट जाटवास तहसील लोहावट के खेत खसरा नम्बर 202 रकबा 0.0405 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 203 रकबा 1.2707 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 208 रकबा 2.9947 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 213 रकबा 2.0072 कुल रकबा 6.3131 हैक्टेयर वादी/प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 1 से 13 की संयुक्त खातेदारी की भूमि है जिसका राजस्व रिकॉर्ड में विभाजन नही हो रखा है। बिना विधिवत विभाजन सहखातेदार द्वारा वादग्रस्त भूमि के अधिक उपजाऊ हिस्से पर मौके पर किसी भी प्रकार का स्थाई निर्माण कार्य कर लिया जाता है तो दुसरे सहखातेदार उस हिस्से से वछिंत हो जायेंगे तथा उस विशिष्ट भू भाग का हस्तान्तरण अजनबी क्रेता को कर दिया जाता है तो इससे सहखातेदार के खातेदारी अधिकारों का हनन होगा व उन्हें होने वाली अपूर्णीयक्षति को नजरअन्दाज नहीं किया जा सकता है। चूंकि वादग्रस्त भूमि संयुक्त खातेदारी अधिकारों की भूमि है जिसके राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी मे प्रार्थी व अप्रार्थीगण के हिस्सो का वर्णन हो रखा है। इसलिये प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीयक्षति के बिन्दु प्रार्थी व अप्रार्थीगण दोनों के पक्ष में बराबर निहित है तथा दोराने मूल वाद विचारण वादग्रस्त भूमि के हस्तान्तरण व मौका स्थिति में परिवर्तन होने से उत्पन्न होने वाली कानुनी जटिलताओं को रोकने के लिये वादग्रस्त भूमि के मौका व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखना आवश्यक है इसलिये प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है जो स्वीकार किया जाता है।

आदेश

प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण उभय पक्ष को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादग्रस्त भूमि ग्राम रुपाणा-जैताणा पटवार सर्किल लोहावट जाटवास के खेत खसरा नम्बर 202 रकबा 0.0405 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 203 रकबा 1.2707 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 208 रकबा 2.9947 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 213 रकबा 2.0072 कुल रकबा 6.3131 हैक्टेयर भूमि में चले आ रहे एक दुसरे के शांतिपूर्वक कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे, न ही मौके पर किसी प्रकार का स्थाई व अस्थाई निर्माण कार्य ही करे, न ही वादग्रस्त भूमि का बेचान अथवा अन्य किसी प्रकार का हस्तान्तरण ही करे। मूल वाद के निस्तारण तक उपरोक्त वादग्रस्त भूमि के मौका व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। उपरोक्त आदेश मूल बाद संख्या 211/2021 मालाराम बनाम कैलाश वगैरा के अधिन होगा तथा वाद के निर्णय पर स्वतः निष्प्रभावी होगा।

पत्रावली फैसल सुमार हो, नम्बर से कम होकर, मूल वाद संख्या संख्या 211/2021 के साथ नत्थी हो।

निर्णय आज दिनांक 28.6.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(हस्ताक्षर)

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड
अधिकारी लोहावट जिला फलौदी

Scanned with CamScanner